2026 का विधेयक संख्यांक 140

[दि रजिस्ट्रेशन आफ बर्थ एंड डेथ (अमेंडमेंट) बिल, 2026 का हिन्दी पाठ]

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 13 का संशोधन ।

2. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— 1969 का 18

'(3) किसी भी जन्म या मृत्यु की विलम्बित इतिला रजिस्ट्रार को उसके घटित होने के एक वर्ष के पश्चात् किंतु दो वर्ष के भीतर दी जाती है, उसका रजिस्ट्रीकरण केवल उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा या जहां जन्म या मृत्यु का स्थान है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा जन्म या मृत्यु की शुद्धता के सत्यापन के पश्चात् और ऐसे शुल्क के भुगतान पर किया जाएगा जो विहित की जाए।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "कार्यपालक मजिस्ट्रेट" अभिव्यक्ति से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है। 2023 का 46

(3क) किसी भी जन्म या मृत्यु की विलम्बित इतिला यदि उसके घटित होने के दो वर्ष पश्चात् रजिस्ट्रार को दी जाती है, उसका रजिस्ट्रीकरण केवल उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, जहां जन्म या मृत्यु का स्थान है,न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, जन्म या मृत्यु की शुद्धता के सत्यापन के पश्चात् और उस शुल्क के भुगतान पर ही किया जाएगा जो विहित की जाए।'।

उद्देश्य और कारणों के कथन

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) (अधिनियम) को जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के विनियमन का उपबंध करने और उससे संबंधित मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था।

2. अधिनियम के अधीन जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण किया जाना आज्ञापक है और अधिनियम के अधीन ज़ारी किया गया प्रमाणपत्र किसी व्यष्टि को विधिक पहचान प्रदान करता है । जन्म या मृत्यु का कोई प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु को साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप स्वीकार्य होता है। यह अधिनियम वर्ष 2023 में संशोधित किया गया था और संशोधित अधिनियम के उपबंध 1 अक्तूबर 2023 से प्रवृत्त हो गए थे। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा अन्य पणधारियों के साथ परामर्श के आधार पर, विलंबित रजिस्ट्रीकरण के उपबंधों को अधिक सख्त बनाने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में विधेयक अर्थात् जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 के रूप में संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे जन्म और मृत्यु की घटना के समय पर रिपोर्टिंग करने को प्रोत्साहन मिलेगा।

3. इसके अतिरिक्त, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 में निम्नलिखित उपबंध किए गए है, अर्थात् :—

(i) किसी भी जन्म या मृत्यु की विलंबित इत्तिला यदि उसके घटित होने के एक वर्ष के पश्चात् किंतु दो वर्ष के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है, जन्म या मृत्यु की शुद्धता के सत्यापन के पश्चात् केवल जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी उपखंड मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश पर रजिस्टर किया जाएगा;

(ii) किसी भी जन्म या मृत्यु की विलंबित इत्तिला यदि उसके घटित होने के दो वर्ष पश्चात् रजिस्ट्रार को दी जाती है, तो उस जन्म या मृत्यु की शुद्धता के सत्यापन के पश्चात् केवल प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश पर रजिस्टर किया जाएगा ।

4. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है।

नई दिल्ली;
24 जुलाई, 2026

अमित शाह

वित्तीय ज्ञापन

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक 2026, यदि अधिनियमित होता है, भारत की संचित निधि से चाहे वह आवर्ती या अनावर्ती कोई अतिरिक्त व्यय अंतरवर्लित नहीं करेंगे।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

विधेयक का खंड 2 जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है और उन विषयों को अंतर्वलित करता है जिनके लिए नियम बनाए जा सकेंगे। धारा 30 के अधीन राज्य सरकार को उक्त धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियम में विद्यमान उपबंधों के अधीन नियम बनाने के लिए सशक्त करती है।

2. वे विषय जिसके संबंध में पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे वे ब्यौरे के विषय है और स्वयं विधेयक में ही उनका उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अत: विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबंध

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 (1969 का 18) से उद्धरण

* * * * *

जन्म और मृत्यु का विलम्बित रजिस्ट्रीकरण ।

13. (1) * * * * *

(3) जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित सूचना उसके होने के एक वर्ष बाद रजिस्ट्रार को दी जाती है, वह उस जन्म या मृत्यु की शुद्धता का सत्यापन करने के पश्चात्, उस क्षेत्र में जिस स्थान पर जन्म या मृत्यु हुई है, अधिकारिता रखने वाले एक जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश पर, और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत की जाएगी । ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,"कार्यपालक मजिस्ट्रेट" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है । 1974 का 2

* * * * *